कार्यालयः– अचल अधिकारी, सिमरिया।

विविध वाद सं0–201/2021

मेघलाल साव, पिता–कोयली साव ग्राम–बानासाडी, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

जागो भुईयां वगैरह, पिता–स्व0 छठु भुईयां, ग्राम–बानासाड़ी, थाना–सिमरिया,जिला–चतरा।

–:आदेशः–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

प्रस्तुत वाद का संधारण प्रथम पक्ष श्री मेघलाल साव, पिता–कोयली साव ग्राम–बानासाड़ी के आवेदन पत्र पर किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जो अभिलेख में संलग्न है।

तद्नुसार दोनों पक्षों को मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, अपने–अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। उभय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा भी समर्पित किया गया। इस वाद को विविध वाद में परिणत कर सुनवाई की गई।

विवादित भूमि का दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातो कि विवरणी निम्नवत हैः–

प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित कागजात

क0 सं0	केता का नाम	विकेता का नाम	ग्राम	केवाला सं0	खाता	प्लॉट	रकवा
01	मेघलाल साव पिता कोयली साव	महथा गजु सिंह पिता स्व0 छकौडी सिंह	बानासाडी	1840 दिनांक 21.04. 1986	64	16	0.40 ए0
02	जोधन साव पिता साठन साव	महथा गजु सिंह पिता स्व0 छकौडी सिंह	बानासाडी	1939 दिनांक 06.04. 1985	64	16	0.20 ए0
03	परवा देवी पति कैला भुईयां	सोमरी देवी पति सुखदेवराम	बानासाडी	2676 दिनांक 20.06. 1987	64	16	0.20 ए0

उक्त भूमि को राजू सिंह सोमरी देवी के नाम से केवाला सं 1938 दिनांक 06.04.1985 द्वारा सोमरी देवी को बिक्री से प्राप्त है। पुनः उक्त भूमि को सोमरी देवी ने परवा देवी के पास बिक्री कर दिया गया है।

क0	केता का नाम	विकेता का नाम	ग्राम	केवाला सं0	खाता	प्लॉट	रकवा
04	लुसरा भुईसां पति छठुरना भुईयां	महथा राजु सिंह पिता स्व0 छकौडी सिंह	बानासाडी	1841 दिनांक 21.04. 1986	64	73	0.40 ए0
05	सरसतीया देवी पति लुसर भुईयां	सिदर भुईयां पिता बन्धन भुईयां	बानासाडी	4757 दिनांक 28.08. 2003	64	16	0.09 ए0

Scanned by CamScanner

था गया है। मनवा देवी की मृत्यु को पश्चात उसके पति ने

सरस्वतीया देवी के साथ बिक्री की गई है।

क0	केता का नाम	विकेता का नाम	ग्राम	केवाला सं0	खाता	प्लॉट	रकवा
06	पतिया देवी पति लुसर भुईयां	रामेश्वर सिंह वगै0 पिता राजु सिंह	बानासाडी	3938 दिनांक 19.07.1993	64	16	0.09 ए0
07	परवा देवी पति कैला भुईयां	केदार सिंह वगै0 पिता महथा दुखन सिंह	बानासाडी	1452 दिनांक 23.03.1991	60	15	0.19 ए0
08	सुखदेव साव पिता रामधन साव	केदार सिंह वगै0 पिता महथा दुखन सिंह	बानासाडी	1455 दिनांक 23.023. 1991	60	15	0.9.66 ए0
09	मेघलाल साव वो अर्जुन साव पिता कोयली साव	केदार सिंह वगै0 पिता महथा दुखन सिंह	बानासाडी	1453 दिनांक 23. 03.1991	60	15	0.19 ए0
10	फुलमति देवी पति बुधन प्रताप मेहरा	पार्वती देवी पति स्व0 लोचन भुईयां	बानासाडी	एकरारनामा सं0 5170 23.03.2016	60	15	0.09. 66 ए0

प्रश्नगत भूमि के केवाला सं0 1454 दिनांक 23.03.1991 को बिक्री किया गया है। पुनः लोकन भुईया की मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी पार्वती देवी के साथ एकरारनामा बिक्री हमेशा के लिए कर दी गई है।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कागजातः—

क0	केता का नाम	विकेता का नाम	ग्राम	केवाला सं0	खाता	प्लॉट	रकवा
01	छतु भुईयां पिता बुधन भुईयां	गणेशी सिंह वो केदार सिंह	बानासाडी	139282 दिनांक 30.01. 1958	64 64	16 15	0.20 ए0 0.32 ए0

ग्राम बानासाडी थाना सं0 155 के अनतर्गत खाता सं0 64 प्लॉट सं0 16 रकवा 2.66 ए0 भूमि सर्वे खतियान में महथा कपिलनाथ सिंह के नाम से दर्ज है कपिलनाथ सिंह वो छकौडी सिंह दोनो भाई थे कपिलनाथ सिंह नावल्द थे जिसके कारण खाता सं0 64 के उत्तराधिकारी छकौडी सिंह हुए छकौडी सिंह के एक पुत्र राजु सिंह और राजु सिंह के तीन पुत्र हुए 1. राजेश्वर सिंह 2. सरयु सिंह एवं 3. रोहन सिंह खाता सं0 60 प्लॉट से0 16 रकवा 0.58 ए0 भूमि सर्वे खतियान में रूपलाल सिंह के नाम से दर्ज है, रूपलाल सिंह के एक पुत्र दुखन सिंह और दुखन सिंह के तीन पुत्र हुए 1. केदार सिंह 2. महेंदर सिंह एंव 3. सुवा सिंह हैं।

दोनो पक्ष का कागजात अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष के मेघलाल साव, जोधन साव, सोमरी देवी, लुसरा भुईयां ने राजु सिहं से वो मनवा देवी, पतिया देवी ने रामेश्वर सिंह वगै0 से खाता सं0 64 प्लॉट सं0 16 रकवा 1.38 ए0 भूमि खरीद किये ओर भूमि पर दखल कार हुए। पुनः सोमरी देवी ने अपने हिस्से कि भूमि परवा देवी और मनवा देवी, पति सिदर भुईयां ने अपने हिस्से की भूमि सरस्वतीया देवी के पास बिक्री कर दी है। लुसरा भुईया के

Scanned by CamScanner

... कुल रकवा 0.40 ए0 दर्ज है। जबकी लगान रसीद में खाता सं0 64 प्लॉट सं0 16 रकवा 0.40 ए0 के अनुसार निर्गत है। जबकी खाता 64 में 73 प्लॉट नही है। इस प्रकार प्लॉट सं0 16 के क्रेता अपने खरीदगी भूमि पर दखलकार है। तथा परवा देवी, सुखदेव साव, मेघलाल साव वो अर्जुन साव, लोकन भुईयां ने केदार सिंह वगै0 से खाता सं0 60 प्लॉट सं0 15 रकवा 0.58 ए0 भूमि क्रय किये। पुनः लोकन भुईयां के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पार्वती देवी ने फुलमति देवी के नाम से एकरारनामा द्वारा बिक्री किया गया है। जिस पर क्रेता लोग दखलकार है।

द्वितीय पक्ष के जागो भुईयां ने अपने पिता के नाम से भुदान पर्चा फॉर्म–5 प्रस्तुत किये हैं। जिस पर गनेसी सिंह वो केदार सिंह मोकाम बानासाडी प्रमाण पत्र सं0 139282 वितरण सभा की तारीख 30.01.1958 दर्ज है। छठु भुईयां पिता बुधन भुईया ग्राम बानासाडी थाना सं0 155 गाँव विवरण सूची 45 अंकित है। ग्राम बानासाडी खाता सं0 64,60 प्लॉट सं0 16,15 रकवा क्रमशः 0.20, 0.32 कुल रकवा 0.52 ए0 अंकित हैं । इसमें दर्ज किया गया है कि श्री छठु भुईयां पिता बुधन भुईयां निवासी ग्राम बानासाडी थाना सिमरिया जिला हजारीबाग को संत बिनोवाभावे भुदान से प्राप्त अंकित है। दिनाांक 15. 07.1959 बुधवार से उस भूमि प्रर प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो के साथ भुदान किसान के सभी कानुनी अधिकार इन्हें प्राप्त होंगे अकिंत है। मुल प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है। यह देखने से लगता है कि फार्म 05 पर ही नकल (सच्ची प्रति) का रूप दिया गया है। इसमें सच्ची प्रति निर्गत होने का कोई कार्यालय पत्र सं0 भी अंकित नही हैं। इससे प्रतित होता है कि यह प्रमाण सही नही है। पर्चाधारी को 1958 में पर्चा प्राप्त हुआ लेकिन इनके द्वारा आजतक भूमि पर दखल न होना इनके दावा से वंचित करता है साथ ही पर्चाधारी के नाम न जमाबंदी कायम हुआ और न भूमि का लगान निर्धारण होकर लगान रसीद भी निर्गत नही हुआ है।

राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि आवेदकों (प्रथम पक्ष) को भूमि केवाला रजिस्ट्री से खरीदगी हासिल है तथा खरीदगी के समय से आज तक भूमि पर जोत आवाद है एवं द्वितीय पक्ष को भूदान द्वारा भूमि प्राप्त है। परन्तु इनका प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नही है।

प्रथम पक्ष को भूमि निबंधित केवाला रजिस्ट्री से हासिल है तथा खरीदगी भूमि पर आवेदको का दखल कब्जा भी है। द्वितीय पक्ष को फॉर्म 5 भुदान पर्चा प्राप्त है जो सही प्रतीत नही होती है। तथा भूमि पर इनका दखल कब्जा कभी नही रहा है। प्रथम पक्ष की दावा को स्वीकृत की जाती है एवं द्वितीय पक्ष के लोगों के दावा को अस्वीकृत किया जाता है। असन्तुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जाने को स्वतंत्र है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2024.12.31 09:16:58 +05:30
Location: 192.168.98.52

Scanned by CamScanner